को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

28/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मा० आदेश की पालना में दिनांक 29/8/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

29/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। तलबी नोटिस अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब में प्रार्थी की भूमि मुतदाविया से किसी प्रकार का

२०५६

खेमराज बनाम रंगलाल वगै०

तारीख हुक्म	44/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होने से जवाब आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया है हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुतनाजा दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिसका प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य, सबूतों के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना है अतः अप्रार्थीगण को मुतनाजा के विधिवत निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रतिबंधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में वादग्रस्त भूमि बाबत जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक: 18.7.2024 को तफैसला मुतनाजा कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसलमुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर रहे।
	[signature] 29/8/24
	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई